

मध्य प्रदेश शासन



मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005  
के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित  
विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण

जयंत मलैया  
वित्त मंत्री

वर्ष 2018-19

## प्राक्कथन

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन नियम, 2006 क्रमशः एक जनवरी 2006 एवं तीस जनवरी 2006 से प्रभावशील है।

अधिनियम की धारा 5 सहपठित नियम 3, 4, 5, एवं 7 के अन्तर्गत, राज्य शासन द्वारा, विधान सभा के समक्ष, वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेम वर्क स्टेटमेन्ट), मध्यम कालिक राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति युक्ति एवं प्रकटन विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त विधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में विधानसभा के समक्ष यह विवरण प्रस्तुत है।

जयंत मलेया,  
वित्त मंत्री

फरवरी, 2018

## विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1	प्राक्कथन	I
2	वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण; प्ररूप एफ -1	1
3	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण; प्ररूप एफ-2	13
4	राजकोषीय नीति युक्ति विवरण; प्ररूप एफ-3	26
5	राजकोषीय स्थिति के चयनित सूचकों का विवरण; प्ररूप एफ-4	33
6	राज्य सरकार के दायित्वों के घटक तथा दायित्वों पर ब्याज लागत/निक्षेपों की गतिशीलता का विवरण; प्ररूप एफ-5	34
7	संचित निक्षेप निधि विवरण; प्ररूप एफ-6	36
8	राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण; प्ररूप एफ-7	37
9	प्रत्याभूति विमोचन निधि पर एक विवरण; प्ररूप एफ-8	38
10	वित्तीय आस्तियों का विवरण; प्ररूप एफ-9	39
11	राजस्व जो बढ़ाया गया पर वसूल नहीं किया गया (मुख्य कर और करेतर) का विवरण; प्ररूप एफ-10	40
12	राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा उनसे संबंधित वेतन के ब्यौरे का विवरण; प्ररूप एफ-11	41

## प्ररूप एफ-1

(नियम 3 देखिए)

### वृहद् आर्थिक रुपरेखा विवरण (मैक्रो इकॉनामिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट)

#### क. 1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत विचार -

#### 1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि (स्थिर भावों पर)

1.1 मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों पर (आधार वर्ष 2011-12) वर्ष 2016-17 के त्वरित अनुमान ₹465135.53 करोड़ की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में अग्रिम अनुमान अनुसार ₹499101.91 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कि 7.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

1.2 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्यप्रदेश के अनुसार मध्यप्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2017-18 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.58 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2017-18 में स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011-12) पर गत वर्ष की तुलना में सकल राज्य मूल्य वर्धन के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 1.66 प्रतिशत, 8.62 प्रतिशत तथा 8.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

**सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि (प्रचलित भावों पर)**

- 1.3 वर्ष 2017-18 के अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹707046.99 करोड़ है। इसमें पिछले वर्ष के त्वरित अनुमान की तुलना में 10.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- 1.4 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्यप्रदेश के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2017-18 के दौरान प्रचलित भावों पर औसतन 13.90 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर परिलक्षित हुई है।
- 1.5 वर्ष 2017-18 के लिये सकल राज्य मूल्य वर्धन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान तथा उनमें वृद्धि की स्थिति तालिका 1.1(अ) एवं 1.1(ब) में दर्शाई गई है।

## तालिका 1.1 (अ)

### सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान स्थिर भावों पर (आधार वर्ष 2011-12)

(राशि ₹ करोड़ में)

स.क्र.	आर्थिक क्रियाकलाप	वर्ष 2016-17 (त्वरित अनुमान)	वर्ष 2017-18 (अग्रिम अनुमान)	वर्ष 2017-18 में गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
	<b>प्राथमिक क्षेत्र</b>	<b>166126.84</b>	<b>168889.25</b>	<b>1.66</b>
1	फसलें	119383.33	117455.94	-1.61
2	पशुधन	21287.28	24980.48	17.35
3	वानिकी और लट्ठा बनाना	11201.93	11400.58	1.77
4	मत्स्यन एवं जलीय कृषि	1193.78	1334.13	11.76
5	खनन एवं उत्खनन	13060.52	13718.12	5.04
	<b>द्वितीयक क्षेत्र</b>	<b>103185.86</b>	<b>112082.42</b>	<b>8.62</b>
6	विनिर्माण	45170.43	49935.21	10.55
7	बिजली, गैस, जलपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	20391.21	22333.49	9.53
8	निर्माण	37624.22	39813.72	5.82
	<b>तृतीयक क्षेत्र</b>	<b>162904.56</b>	<b>177245.76</b>	<b>8.80</b>
9	व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह	44363.31	47228.73	6.46
10	परिवहन एवं भंडारण	14178.54	15388.09	8.53
11	रेलवे	5354.03	5966.12	11.43
12	संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं	10853.93	12760.97	17.57
13	वित्तीय सेवाएं	19655.83	21263.98	8.18
14	स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं	24170.26	26335.49	8.96
15	लोक प्रशासन	21036.10	22732.74	8.07
16	अन्य सेवाएँ	23292.56	25569.64	9.78
	बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन	<b>432217.26</b>	<b>458217.43</b>	<b>6.02</b>
	<b>सकल राज्य घरेलू उत्पाद</b>	<b>465135.53</b>	<b>499101.91</b>	<b>7.30</b>

नोट - सकल मूल्य वर्धन (GVA) का अर्थ बुनियादी मूल्यों पर राज्य की सीमा के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं की प्रथम आय से प्राप्त आय से है जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का अर्थ उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं पर बाजार भाव पर प्राप्त आय से है।

## तालिका 1.1 (ब)

### सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भावों पर (आधार वर्ष 2011-12)

(राशि ₹ करोड़ में)

स.क्र.	आर्थिक क्रियाकलाप	वर्ष 2016-17 (त्वरित अनुमान)	वर्ष 2017-18 (अग्रिम अनुमान)	वर्ष 2017-18 में गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
	<b>प्राथमिक क्षेत्र</b>	<b>263547.84</b>	<b>282400.84</b>	<b>7.15</b>
1	फसलें	188914.40	195894.96	3.70
2	पशुधन	37103.48	45474.11	22.56
3	वानिकी और लट्ठा बनाना	15603.31	16138.76	3.43
4	मत्स्यन एवं जलीय कृषि	1817.11	2094.67	15.27
5	खनन एवं उत्खनन	20109.54	22798.34	13.37
	<b>द्वितीयक क्षेत्र</b>	<b>123614.31</b>	<b>137117.50</b>	<b>10.92</b>
6	विनिर्माण	50091.19	56806.99	13.41
7	बिजली, गैस, जलपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	25713.41	28278.61	9.98
8	निर्माण	47809.71	52031.90	8.83
	<b>तृतीयक क्षेत्र</b>	<b>213844.96</b>	<b>238984.88</b>	<b>11.76</b>
9	व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह	61300.00	67117.34	9.49
10	परिवहन एवं भंडारण	17194.19	19195.79	11.64
11	रेलवे	6745.65	7730.78	14.60
12	संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं	13111.83	15854.34	20.92
13	वित्तीय सेवाएं	21394.71	23803.88	11.26
14	स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं	33190.46	37193.03	12.06
15	लोक प्रशासन	27779.17	30686.98	10.47
16	अन्य सेवायें	33128.95	37402.74	12.90
	बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन	<b>601007.11</b>	<b>658503.22</b>	<b>9.57</b>
	<b>सकल राज्य घरेलू उत्पाद</b>	<b>639219.67</b>	<b>707046.99</b>	<b>10.61</b>

नोट - सकल मूल्य वर्धन (GVA) का अर्थ बुनियादी मूल्यों पर राज्य की सीमा के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं की प्रथम आय से प्राप्त आय से है जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का अर्थ उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं पर बाजार भाव पर प्राप्त आय से है।

## 2. राज्य अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन

2.1 प्रदेश की अर्थव्यवस्था की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तन तालिका 1.1 में प्रदर्शित है।

### तालिका 2.1

प्रदेश की अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन  
स्थिर भावों पर (आधार वर्ष 2011-12)


क्षेत्र	2011-12	(प्रतिशत में)	
		2016-17 त्वरित अनुमान	2017-18 अग्रिम अनुमान
प्राथमिक	33.85	38.44	36.86
द्वितीयक	27.09	23.87	24.46
तृतीयक	39.06	37.69	38.68

2.2 वर्ष 2011-12 से 2017-18 की अवधि में राज्य स्तर पर अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हुए हैं। इस अवधि में मध्यप्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 33.85 प्रतिशत से बढ़कर 36.86 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 27.09 प्रतिशत से घटकर 24.46 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 39.06 प्रतिशत से घटकर 38.68 प्रतिशत हुआ है।



2.3 2011-12 से 2017-18 की अवधि में राज्य की क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था का विकास निम्नानुसार रहा है।

### स्थिर भावों पर क्षेत्रवार तथा सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि



2.4 राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में वृद्धि को विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकार की कृषि प्रधान नीतियों के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये। वर्ष 2011-12 से 2017-18 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 7.58 प्रतिशत की औसत वार्षिक बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है, जो इस अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद की दर्ज औसत वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत से अधिक है। इस अवधि में मध्यप्रदेश में सिंचाई के विस्तार एवं कृषि तथा सहायक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिये जाने से प्राथमिक क्षेत्र में 8.6

प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई है, जोकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 7.58 प्रतिशत से अधिक है। अतः प्राथमिक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था में योगदान में वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

### 3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार

3.1 वर्ष 2016-17 के लेखे के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹123306.79 करोड़ है, जो पुनरीक्षित अनुमान ₹126050.76 करोड़ से कम है। इस कमी का मुख्य कारण इस अवधि में कर भिन्न राजस्व एवं केन्द्र से सहायता अनुदान अन्तर्गत अनुमान से कम राशि प्राप्त होना है। वर्ष 2017-18 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान ₹135072.29 करोड़ है, जो बजट अनुमान ₹139115.64 करोड़ से 2.91 प्रतिशत कम है। यह कमी मुख्य रूप से कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की प्राप्तियों में कमी हुई है।

3.2 वर्ष 2016-17 में राज्य के कर तथा करेतर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ क्रमशः ₹44193.78 करोड़ एवं ₹9086.51 करोड़ थीं, जो वर्ष 2016-17 के कर राजस्व के पुनरीक्षित अनुमान ₹44135.20 करोड़ की तुलना में मात्र 0.13 प्रतिशत अधिक है एवं करेतर राजस्व के पुनरीक्षित अनुमान ₹10409.99 करोड़ की तुलना में 12.71 प्रतिशत कम है। करेतर राजस्व में कमी मुख्यतः वानिकी, शिक्षा, खेलकूद कला और संस्कृति तथा मध्यम एवं लघु सिचाई मदों में अनुमानित वृद्धि दर से कम वृद्धि दर प्राप्त होने के कारण रही है। वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राज्य के कर तथा

करेतर राजस्व क्रमशः ₹46337.58 करोड़ तथा ₹9520.66 करोड़ प्राप्त होना अनुमानित है, जो बजट अनुमान 2017-18 से क्रमशः 7.87 प्रतिशत एवं 18.49 प्रतिशत कम है। राज्य के कर राजस्व में कमी मुख्य रूप से राज्य जी.एस.टी., वैट तथा राज्य उत्पाद शुल्क में है। जी.एस.टी. के अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति कर राजस्व के स्थान पर केन्द्र से प्राप्त सहायक अनुदान के अंतर्गत वर्गीकृत की गई है। वैट कर प्रणाली अंतर्गत कर संग्रहण में कमी पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट की दरों में कमी के कारण है। करेतर राजस्व में कमी मुख्यतः वाणिकी एवं वन्य जीवन, सिंचाई, विद्युत विक्रय इत्यादि में लक्षित वृद्धि दर से कम वृद्धि के कारण है।

3.3 वर्ष 2016-17 में ₹1534.75 करोड़ राजस्व आधिक्य के पुनरीक्षित अनुमानों के विरुद्ध, लेखा अनुसार राजस्व आधिक्य ₹3769.42 करोड़ रहा। इसी तरह राजकोषीय घाटा ₹29898.96 करोड़ के पुनरीक्षित अनुमान के विरुद्ध लेखा अनुसार ₹27663.57 करोड़ रहा। वर्ष 2017-18 में राजस्व आधिक्य, ₹4596.40 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में घटकर ₹575.53 करोड़ होना संभावित है। राजकोषीय घाटा ₹25688.97 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में ₹24083.13 करोड़ होना संभावित है। राजकोषीय घाटा को पुनरीक्षित करने का कारण यह है कि बजट अनुमान में मध्यप्रदेश का अधिप्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹735246 करोड़ रखा गया था लेकिन बाद में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद संशोधित करने के फलस्वरूप इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार

द्वारा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद ₹690038 करोड़ मान्य किया गया। इस प्रकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान में कमी होने के कारण राज्य की शुद्ध उधार सीमा में कमी हुई। उक्त कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के राजकोषीय घाटे को पुनरीक्षित किया गया।

#### 4. संभावनाएं

- 4.1 प्रदेश में भौतिक अधोसंरचना को विकसित करने एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए हुए निवेश के परिणाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हो रही लगातार वृद्धि के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं।
- 4.2 सिंचाई परियोजनाओं में अधिक लोक निवेश तथा कृषि पंपों के लिये पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के परिणाम स्वरूप प्रदेश में कृषि विकास की दर लगातार बढ़ी है, जिससे किसानों के लिये आशावादी संकेत मिले हैं। कृषि हेतु निम्न ब्याज दर पर साख की उपलब्धता बढ़ाने से कृषि संबंधी संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार की निरन्तर आशा बनी हुई है। एक सशक्त कृषि विकास योजना, सार्थक उद्योग नीति एवं कौशल उन्नयन योजना बनाकर कार्य करने से राज्य की अर्थव्यवस्था के निरंतर तेजी से बढ़ने तथा उच्च स्तर पर बने रहने की पूर्ण संभावना है।
- 4.3 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर जी.एस.टी. लागू होने का असर पड़ा है। जी.एस.टी. के अंतर्गत प्राप्तियां पूर्ववर्ती वैट व्यवस्था की तुलना में कम हुई हैं। हालांकि, जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत राज्य को प्राप्त होने वाले करों हेतु वर्ष 2015-16 से प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत

की वृद्धि का आश्वासन केन्द्र सरकार ने दिया है, फिर भी केन्द्र सरकार के अपने राजस्व में कमी, आई.जी.एस.टी. के लेखा संधारण तथा वितरण व्यवस्था में अनिश्चितता आदि कारणों से इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य को केन्द्र से प्राप्त होने वाले संसाधनों में कमी होगी। इससे राज्य की राजस्व प्राप्तियों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

- 4.4 वर्ष 2016-17 में बेहतर राजकोषीय संकेतकों के कारण प्रदेश को वर्ष 2017-18 के लिये राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा जी.एस.डी.पी. का 3.5 प्रतिशत रखने की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हुई है।
- 4.5 महालेखाकार मध्य प्रदेश द्वारा तैयार वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च, 2017 की स्थिति में राज्य पर सकल ऋण रूपये 136804.47 करोड उसके जी.एस.डी.पी. रूपये 640484 करोड का 21.36 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राज्य द्वारा प्रदेश में शुद्ध ऋण रूपये 24067.43 करोड लेने का अनुमान है, जिसके कारण 31 मार्च, 2018 की स्थिति में राज्य पर सकल ऋण रूपये 160871.90 करोड उसके जी.एस.डी.पी. रूपये 690038.00 का 23.31 प्रतिशत होगा।
- 4.6 भारत सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) की समीक्षा करने हेतु श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है तथा केन्द्र सरकार ने अपने बजट प्रस्ताव दिनांक 1 फरवरी 2018, में समिति की प्रमुख अनुशंसाओं को स्वीकार करने का उल्लेख किया है। इन अनुशंसाओं में केन्द्र सरकार के ऋण से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 40 प्रतिशत

तक घटाना सम्मिलित है। यहां उल्लेखनीय है कि समिति की अनुशंसा अनुसार यह अनुपात केन्द्र सरकार हेतु 40 प्रतिशत तथा राज्य सरकार हेतु 20 प्रतिशत नियत किया गया है। केन्द्र शासन द्वारा अनुशंसा स्वीकार करने के फलस्वरूप अब राज्यों से स्वाभाविक अपेक्षा होगी कि वे अपने ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 20 प्रतिशत से कम करने के प्रयास करें। यह अनुपात मध्यप्रदेश के लिए दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में 23.31 प्रतिशत होना अनुमानित है एवं अगले कुछ वर्षों में इस अनुपात को तेजी से घटाना होगा। इस हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिये जा रहे ऋण को सीमित करना पड़ेगा तथा प्रतिवर्ष राजकोषीय घाटे को एक निश्चित सीमा से कम करना पड़ेगा। अतः अधोसंरचना कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राजस्व व्यय को नियंत्रित करना आवश्यक होगा और राजस्व व्यय में भी विशेषकर विभिन्न संस्थाओं को तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराये जा रहे 'सहायक अनुदान' तथा 'राज सहायता' (सब्सिडी) को दृढ़ता से नियंत्रित करना होगा।

- 4.7 वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत रहना संभावित है। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.24 प्रतिशत अनुमानित है।
- 4.8 राज्य शासन यह प्रयास करेगा कि वर्ष 2017-18 में राजस्व आधिक्य बना रहे।

ख. चयनित राजकोषीय सूचकों में रुख

(रैंकरोड़ में)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्व वर्ष (2016-17) से चालू वर्ष (2017-18) में परिवर्तन (प्रतिशत)	चालू वर्ष (2017-18) से आगामी वर्ष (2018-19) में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2016-17 (लेखा)	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<b>राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)</b>	<b>123306.79</b>	<b>135072.29</b>	<b>155886.47</b>	<b>9.54</b>	<b>15.41</b>
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	90257.75	97190.63	114145.16	7.68	17.44
2.1	राज्य कर	44193.78	46337.58	54655.24	4.85	17.95
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा	46063.97	50853.05	59489.92	10.40	16.98
3	करेतर राजस्व	9086.51	9520.66	10933.78	4.78	14.84
4	केन्द्र शासन से सहायक अनुदान	23962.53	28361.00	30807.53	18.36	8.63
5	<b>पूँजीगत प्राप्तियां (6+7+8+9)</b>	<b>27397.36</b>	<b>29194.58</b>	<b>30812.20</b>	<b>6.56</b>	<b>5.54</b>
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	796.26	5139.37	4018.52	545.44	-21.81
7	शुद्ध लोक ऋण	24922.00	22642.11	25342.48	-9.15	11.93
8	आकस्मिकता निधि से शुद्ध प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00		
9	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति	1679.10	1413.10	1451.20	-15.84	2.70
10	<b>कुल प्राप्तियां (1+5)</b>	<b>150704.15</b>	<b>164266.87</b>	<b>186698.67</b>	<b>9.00</b>	<b>13.66</b>
11	<b>राजस्व व्यय (14.1+15.1)</b>	<b>119537.37</b>	<b>134496.76</b>	<b>155624.38</b>	<b>12.51</b>	<b>15.71</b>
	: जिसमें					
11.1	व्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन खर्च	9079.49	11964.95	12867.29	31.78	7.54
11.2	सहायक अनुदान	45113.43	51323.01	54675.86	13.76	6.53
11.3	राज सहायता	16512.02	18231.69	22509.59	10.41	23.46
11.4	पूँजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान	4866.71	1223.89	5452.06	-74.85	345.47
11.5	मजदूरी तथा वेतन	22930.90	28542.47	31919.61	24.47	11.83
11.6	पेंशन संदाय	8793.16	10551.79	12556.63	20.00	19.00
12	<b>पूँजीगत व्यय (14.2+15.2)</b>	<b>27288.32</b>	<b>28154.77</b>	<b>29342.83</b>	<b>3.18</b>	<b>4.22</b>
13	<b>ऋण एवं अग्रिम (14.3+15.3)</b>	<b>4940.93</b>	<b>1643.26</b>	<b>1718.49</b>	<b>-66.74</b>	<b>4.58</b>
14	आयोजनेतर व्यय (14.1+14.2+14.3)	75943.80	52611.25			
	14.1 आयोजनेतर राजस्व व्यय	73267.74	50623.75			
	14.2 आयोजनेतर पूँजीगत व्यय	129.29	1755.46			
	14.3 आयोजनेतर ऋण एवं अग्रिम	2546.77	232.04			
15	आयोजना व्यय (15.1+15.2+15.3)	75822.82	111683.54			
	15.1 आयोजना राजस्व व्यय	46269.63	83873.01			
	15.2 आयोजना पूँजीगत व्यय	27159.03	26399.31			
	15.3 आयोजना ऋण एवं अग्रिम	2394.16	1411.22			
16	<b>कुल व्यय (14+15)</b>	<b>151766.62</b>	<b>164294.79</b>	<b>186685.70</b>	<b>8.25</b>	<b>13.63</b>
17	<b>राजस्व आधिक्य (1-11)</b>	<b>3769.42</b>	<b>575.53</b>	<b>262.09</b>	<b>-84.73</b>	<b>-54.46</b>
18	<b>राजकोषीय घाटा (1+6-16)</b>	<b>27663.57</b>	<b>24083.13</b>	<b>26780.71</b>	<b>-12.94</b>	<b>11.20</b>
19	<b>प्राथमिक घाटा (18-11.1)</b>	<b>18584.08</b>	<b>12118.18</b>	<b>13913.42</b>	<b>-34.79</b>	<b>14.81</b>

## प्ररूप एफ-2

(नियम 4 देखिए)

### **मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण**

1. चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग ने राजकोषीय समेकन रोडमैप के संबंध में अपनी अवार्ड अवधि के दौरान राज्यों के लिये राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और वार्षिक उधार सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसा की है –

“राज्य का राजकोषीय घाटा सामान्यतः जी.एस.डी.पी. के तीन प्रतिशत रहेगा। राज्य को राजकोषीय घाटे में 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा प्राप्त होगी, यदि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य का ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात 25 प्रतिशत या उससे कम रहा हो। इसके अतिरिक्त राज्य को राजकोषीय घाटे में 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा भी प्राप्त होगी, यदि पिछले वित्तीय वर्ष में उसका ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत या उससे कम रहा हो। अतः किसी एक साल के लिये राज्य का अधिकतम राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. के 3.5 प्रतिशत तक हो सकता है। उपर्युक्त दोनों प्रकार के राजकोषीय घाटे की पात्रता तभी मिलेगी जब पिछले एवं चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का कोई भी राजस्व घाटा नहीं रहा हो अर्थात् राज्य ने राजस्व आधिक्य प्राप्त किया हो।” राज्य द्वारा उक्त शर्तों को पूरा कर लेने पर, उक्त अधिकतम सीमा का उपयोग करने के लिये राज्य को वर्ष 2017-18 के लिये केन्द्र से अनुमति प्राप्त हो गई है।

2. चालू वर्ष में एवं आगामी वर्षों में भी केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखा जायेगा। इसके साथ ही केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत राजकोषीय एवं वित्तीय



प्रबंधन (ऋण सीमा सहित) संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

**क. राजकोषीय सूचक- चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)**

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	लेखा 2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	बजट अनुमान 2018-19	आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य *		
					2019-20	2020-21	2021-22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	0.59	0.08	0.03	राजस्व आधिक्य	राजस्व आधिक्य	राजस्व आधिक्य
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	4.32	3.49	3.24	3.25	3.25	3.25
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया (देनदारियाँ) दायित्व	25.37	27.29	26.34	26.79	27.20	27.56
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया परादेय ऋण	21.36	23.31	22.71	23.53	24.26	24.90

**नोट:-**

- (i) राज्य के कुल ऋण (कुल बकाया परादेय ऋण) - इसमें लोक ऋण के साथ अन्य ऋण (अर्थात लोक लेखा में सम्मिलित भविष्य निधि, सब्याज जमा, कर्मचारी समूह बीमा इत्यादि) सम्मिलित हैं।
- (ii) कुल बकाया दायित्व- इसमें कुल ऋण एवं अन्य दायित्वों के साथ-साथ राज्य का जोखिम अधिमान दायित्व भी सम्मिलित है।

\* वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिये उपरोक्तानुसार दर्शाए गये संकेतांक 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप अनुमानित किये गये हैं। शासन द्वारा श्री एन. के. सिंह समिति तथा 15वें वित्त आयोग की भावी अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में इन संकेतांको में परिवर्तन संभव है।

ख. राजकोषीय सूचकों का पूर्वानुमान

(1) राजस्व प्राप्तियां :

(क) कर राजस्व - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है। वर्ष 2018-19 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा ₹59489.92 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2018-19 के राज्य की स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान ₹54655.24 करोड़ है। कर राजस्व का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है-

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	विवरण	2016-17				2017-18		2018-19
		बजट अनुमान	पुन. अनुमान	कुल प्राप्तियाँ	बजट अनुमान से प्राप्तियों का प्रतिशत (कमी/वृद्धि)	बजट अनुमान	पुन. अनुमान	बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0006	राज्य जी.एस.टी.						9820.00	20108.00
0028	आय तथा व्यय पर अन्य कर	375.00	350.00	327.42	-12.69	375.00	335.00	250.00
0029	भू - राजस्व	500.00	350.00	406.65	-18.67	700.00	700.00	700.00
0030	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4500.00	3900.00	3925.43	-12.77	4300.00	4800.00	5600.00
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	9000.00	7700.00	7532.59	-16.30	8600.00	8100.00	9000.00
0040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	22000.00	22350.00	22561.12	2.55	25910.00	15187.00	11500.00
0041	वाहन कर	2500.00	2200.00	2251.51	-9.94	2550.00	2800.00	3200.00
0042	माल तथा यात्रियों पर कर	4200.00	3755.00	3805.04	-9.40	4010.00	1100.00	15.00
0043	विद्युत कर तथा शुल्क	2500.00	2700.00	2620.53	4.82	3000.00	2750.00	3050.00
	अन्य विविध प्राप्तियाँ	925.00	830.20	763.49	-17.46	850.21	745.58	1232.24
योग	राज्य के स्वयं के कर राजस्व	46500.00	44135.20	44193.78	-4.96	50295.21	46337.58	54655.24
	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	43676.36	46064.10	46063.97	5.47	51106.32	50853.05	59489.92
	कुल कर राजस्व	90176.36	90199.30	90257.75	0.09	101401.53	97190.63	114145.16

- (ख) करेतर राजस्व - वर्ष 2018-19 (बजट अनुमान) के लिये राज्य का करेतर राजस्व ₹10933.78 करोड़ अनुमानित है। यह राशि वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान ₹9520.66 करोड़ से अधिक है।
- (ग) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2017-18 (पुनरीक्षित अनुमान) में 34.31 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2018-19 में यह अनुपात 35.06 प्रतिशत होना अनुमानित है।
- (घ) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार 7.05 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा 7.01 प्रतिशत होना अनुमानित है।

## (2) पूंजीगत प्राप्तियां

वर्ष 2018-19 में पूंजीगत प्राप्तियां ₹30812.20 करोड़ होना अनुमानित है, जो वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान से 5.54 प्रतिशत अधिक है। संबंधित वर्ष में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता तथा उस समय प्रचलित ब्याज दर के आधार पर नए ऋणों का समूह (Portfolio) निर्धारित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में ऋणों का समूह (Portfolio) निम्नानुसार रहेगा -

- (क) **केन्द्र से उधार तथा अग्रिम** - वर्ष 2018-19 के लिये ₹4000.00 करोड़ केन्द्र सरकार से उधार तथा अग्रिम प्राप्त होने का अनुमान है, जो बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु है।
- (ख) **राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) को जारी विशेष प्रतिभूतियां-** इस मद में राज्य में अल्प बचत योजनाओं में हुई जमा राशि के आधार पर 50 प्रतिशत ऋण लेने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है। इस मद में वर्ष 2017-18 का पुनरीक्षित अनुमान ₹2800 करोड़ है। वर्ष 2018-19 में इस मद में ₹2900 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है।
- (ग) **उधारों तथा अग्रिमों की वसूली** - राज्य द्वारा दिये गये उधार एवं अग्रिम का बकाया दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति में ₹44995.50 करोड़ है। उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग बिजली परियोजनाओं के लिए दिये गये कर्ज का बकाया ₹36964.31 करोड़ है। बिजली कंपनियों के कर्जों को राज्य सरकार को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा उदय योजना वर्ष 2016-17 में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत बिजली कंपनियों के कर्ज ₹26055 करोड़ को वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के मध्य राज्य सरकार को स्थानांतरित किया जाना है। साथ ही विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय साध्यता हेतु वित्तीय पुनर्संरचना योजना की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा रही है। अर्थात् बिजली कंपनियों से उधारों की वसूली निकट भविष्य में संभव प्रतीत नहीं होती। स्थानीय निकायों को दिये गये कर्ज का ₹1625.97 करोड़ बकाया है।

- (घ) बाजार ऋण एवं वित्तीय संस्थानों से उधार - बाजार ऋण के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान ₹22670.52 करोड़ के विरुद्ध पुनरीक्षित अनुमान ₹19676.05 करोड़ है। वर्ष 2018-19 के लिये ₹23800.00 करोड़ की राशि बाजार ऋण के रूप में प्राप्त होना अनुमानित है। आगे के वर्षों हेतु यह राशि राजकोषीय संकेतकों के आधार पर अनुमानित की गई है।
- (ङ) अन्य प्राप्तियां (शुद्ध) - भविष्य निधि आदि - राज्य की संचित निधि से बाहर लोक लेखे से उधार पूंजीगत प्राप्तियों का एक स्रोत है। उपलब्धता के आधार पर इनका उपयोग पूंजीगत व्यय के अन्तर की पूर्ति के लिये किया जायेगा।
- (च) बकाया दायित्व - आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व - मार्च, 2017 एवं मार्च, 2018 की स्थिति में राज्य के आंतरिक ऋण एवं बकाया दायित्वों की स्थिति निम्नानुसार है -

(राशि ₹करोड़ में)

क्रमांक	बकाया दायित्व	मार्च, 2017 की स्थिति में	मार्च, 2018 की स्थिति में (अनुमानित)
1	लोक ऋण	122308.43	144950.54
2	राज्य के कुल ऋण	136804.47	160871.90
3	कुल ऋण एवं अन्य दायित्व	157656.43	183206.10
4	कुल बकाया दायित्व (जोखिम अधिमान प्रत्याभूति को जोड़कर)	162507.43	188299.65

नोट:-

- (i) लोक ऋण - इसमें राज्य के आंतरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार से लिये गये ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

- (ii) **राज्य के कुल ऋण (कुल बकाया परादेय ऋण)** - इसमें लोक ऋण के साथ अन्य ऋण (अर्थात लोक लेखा में सम्मिलित भविष्य निधि, सब्याज जमा, कर्मचारी समूह बीमा इत्यादि) सम्मिलित हैं।
- (iii) **कुल ऋण एवं अन्य दायित्व-** इसमें राज्य के कुल ऋण के साथ बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ एवं जमा सम्मिलित हैं।
- (iv) **कुल बकाया दायित्व-** इसमें कुल ऋण एवं अन्य दायित्वों के साथ-साथ राज्य का जोखिम अधिमान दायित्व भी सम्मिलित है।

(3) **कुल व्यय :**

कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत व्ययों में वर्गीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से कुल व्यय में आयोजना व्यय तथा आयोजनेतर व्यय का विभेदीकरण समाप्त किया गया है। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान अनुसार राजस्व व्यय ₹155623.92 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2018-19 के पश्चात राजस्व व्यय में 12 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित की गई है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व व्यय को इस सीमा में नियंत्रित रखना राज्य शासन के लिये एक कठिन चुनौती होगी। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान अनुसार पूंजीगत परिव्यय ₹31061.32 करोड़ अनुमानित है।

- (क) **राजस्व लेखा (व्यय)** - राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज संदाय, सब्सिडी तथा अनुदान शामिल है।

- (एक) **ब्याज संदाय** - वर्ष 2017-18 में उधार लिये जाने वाले ऋण की औसत लागत 7.81 प्रतिशत अनुमानित है तथा इसी आधार पर देयताओं के पूर्वानुमान तैयार किये गये हैं।
- (दो) **सहायक अनुदान** - वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 6.53 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
- (तीन) **सब्सिडी** - वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 23.46 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
- (चार) **वेतन** – वर्ष 2017-18 में वर्ष 2016-17 की तुलना में वेतन शीर्ष अन्तर्गत 24.47 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2018-19 में वेतन मद के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 11.83 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
- (पाँच) **पेंशन** - पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में भी कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते के अनुसार वृद्धि किये जाने के कारण से इस मद अन्तर्गत व्यय में वृद्धि जारी है। वर्ष 2017-18 में वर्ष 2016-17 की तुलना में 20.00 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2018-19 में इस मद में वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान से 19.00 प्रतिशत व्यय होना अनुमानित है। बाद के वर्षों में इस मद में 17 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है।

**(ख) पूंजीगत लेखा (व्यय) -**

**(एक) उधार तथा अग्रिम -** वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान में बजट अनुमान की तुलना में उधार तथा अग्रिम मद में 59.16 प्रतिशत की कमी हुई है।

**(दो) पूंजीगत परिव्यय -** राज्य के पूंजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधोसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार पूंजीगत परिव्यय (उदय योजना के अंतर्गत ₹4011 करोड़ को छोड़कर) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.74 प्रतिशत होगा तथा वर्ष 2018-19 में 3.76 प्रतिशत संभावित है। आधारभूत क्षेत्रों में पूंजीगत निवेश की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्षों में इसमें औसत 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है।

**(4) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि :**

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2017-18 के दौरान चालू मूल्यों पर औसतन 13.90 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है। वर्ष 2016-17 में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी अग्रिम अनुमान तथा वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमोदित जी.एस.डी.पी. के आंकड़े लिये गये हैं। वर्ष 2018-19 में 14 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित फार्मूले के आधार पर जी.एस.डी.पी. के आंकड़ों की गणना की गई है। उसके पश्चात इसमें 12



प्रतिशत की औसत वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है। समावेशी आर्थिक विकास की अवधारणा को पूर्ण करने हेतु जी.एस.डी.पी. में वृद्धि को और तीव्र करना आवश्यक है तथा राजकोषीय नीति का यह प्रमुख लक्ष्य है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजकोषीय नीति अग्रसर है।

**ग. संवहनीयता का निर्धारण :**

**सामान्य प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन** - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय, की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों की दर में अधिक तेजी से वृद्धि हो।

(एक) **कुल राजस्व** - वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कर राजस्व का जीएसडीपी से अनुपात 14.08 प्रतिशत है तथा वर्ष 2018-19 में इसके 13.82 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2017-18 में स्वयं के कर राजस्व का जीएसडीपी से अनुपात 6.72 प्रतिशत है और वर्ष 2018-19 में भी इसके 6.62 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2017-18 के लिये केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जीएसडीपी से अनुपात 7.37 प्रतिशत है और यह वर्ष 2018-19 में 7.20 प्रतिशत अनुमानित है।

(दो) **ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात-** वर्ष 2016-17 में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 7.36 प्रतिशत था जो वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 8.86 प्रतिशत रहने की संभावना है। “उदय कार्यक्रम” अन्तर्गत विद्युत कंपनियों के रूपये ₹7360

करोड़ के ऋण राज्य सरकार द्वारा अपने ऊपर हस्तांतरित करने के कारण वर्ष 2017-18 में ब्याज भुगतान में अतिरिक्त वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों में यह अनुपात 8.25 प्रतिशत रहने की संभावना है। यह संवहनीयता की दृष्टि से लक्षित 10 प्रतिशत की सीमा से कम है।

(तीन) **कुल परादेय ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात-** वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार कुल परादेय ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 23.31 प्रतिशत अनुमानित है। यह अनुपात वर्ष 2018-19 में 22.71 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2021-22 तक यह अनुपात बढ़कर 24.90 प्रतिशत तक होना संभावित है।

(चार) **कुल दायित्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात-** वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार कुल दायित्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 27.29 प्रतिशत अनुमानित है। यह अनुपात वर्ष 2018-19 में 26.34 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2021-22 तक यह अनुपात बढ़कर 27.56 प्रतिशत तक होना संभावित है।

(2) **राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान** - वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार वर्ष 2016-17 की तुलना में वेतन मद में 24.47 प्रतिशत तथा पेंशन मद में 20.00 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2018-19 के लिये वेतन मद में बजट अनुमान में वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 11.83 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है।

राज्य के द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा ऋण के समूह (Portfolio) के समुचित चयन के कारण ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है। वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार ब्याज मद में

वर्ष 2016-17 की तुलना में 31.78 प्रतिशत तथा वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान अनुसार वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 7.54 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राजस्व व्यय में वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2018-19 में 15.71 प्रतिशत तथा इसके पश्चात 12.00 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है।

**(3) उत्पादक आस्तियों के जनन के लिये बाजार के उधारों सहित**

**पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग** - राज्य के द्वारा राजस्व आधिक्य की स्थिति वर्ष 2004-05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं लगातार तेरहवें वर्ष भी राजस्व आधिक्य की स्थिति बनाये रखी गई है। वर्ष 2004-05 से सभी पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई, ऊर्जा, सड़क तथा पुलों आदि के निर्माण में किया जा रहा है। आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य आवश्यकतानुसार रखा गया है।

- (4) आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना - पेंशन भुगतान में वृद्धि की प्रवृत्ति की गणना विगत 5 वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार की गई है। तदनुसार, पेंशन उत्तरदायित्व का पूर्वानुमान निम्नानुसार है : -

आंकड़ों की प्रवृत्ति	वर्ष	₹ करोड़ में
लेखानुसार वास्तविक आंकड़े	2012-13	4946.79
	2013-14	5931.74
	2014-15	6836.48
	2015-16	7818.69
	2016-17	8793.16
पुनरीक्षित अनुमान	2017-18	10551.79
बजट अनुमान	2018-19	12556.63
अनुमानित आंकड़े	2019-20	14691.26
	2020-21	17188.77
	2021-22	20110.86
	2022-23	23529.71
	2023-24	27529.76
	2024-25	32209.82
	2025-26	37685.49
	2026-27	44092.02
	2027-28	51587.66

वर्ष 2018-19 में पेंशन मद में रूपये ₹ 12556.63 करोड़ का व्यय होना अनुमानित है। इस मद में वर्ष 2019-20 एवं आगामी वर्षों में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित करते हुए गणना की गई है।

### प्ररूप एफ-3

(देखें नियम 5)

## राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

### (1) राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार :

1. राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक विकास एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को और अधिक बढ़ाया जा सकेगा तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही समावेशी विकास की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों यथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
2. इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा बजट अनुमान से 0.50 प्रतिशत कम प्राप्त होने का अनुमान है।
3. राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 15.41 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार वर्ष 2016-17 की तुलना में 4.85 प्रतिशत वृद्धि

अनुमानित है। इस मद में वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान से 17.95 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

4. राजस्व व्यय अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान में वर्ष 2016-17 की तुलना में 12.51 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 15.71 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
5. वर्ष 2017-18 के राजस्व व्यय में इस वृद्धि का कारण राज्य शासन द्वारा विभिन्न स्कीमों अन्तर्गत प्रदान की जा रही अनुदान राशि में वृद्धि के साथ-साथ राज्य कर्मचारियों/पेंशनरों को मंहगाई भत्ते एवं किसानों को भावान्तर भुगतान योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदान की राशि है । वर्ष 2017-18 के राजस्व आधिक्य के बजट अनुमान ₹4596.20 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान ₹575.53 करोड़ अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा ₹25688.97 करोड़ की तुलना में ₹24083.13 करोड़ अनुमानित है।
6. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 9 की उपधारा 2 के परन्तुक में यह प्रावधान है कि " परन्तु राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, भारत संघ के बजट प्राक्कलन के संबंध में केन्द्रीय कर न्यागमन में कमी के आधार पर या आधारों के कारण और/या राज्य सरकार के वित्त पर आंतरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अकल्पित बाध्यताओं के आधार या आधारों के कारण या ऐसे अन्य आपवादिक आधारों के कारण जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, इस धारा के आधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकेगा। "

भारत सरकार से केन्द्रीय करों में राज्य को प्राप्त होने वाले हिस्से की वास्तविक प्राप्तियां भारत सरकार के वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान ₹59489.92 करोड़ से कम रहने पर उक्त कमी की सीमा तक राजकोषीय घाटा अधिक हो सकता है तथा राजस्व आधिक्य की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है।

- (2) **आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति :** चूंकि वर्तमान राजकोषीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। अतः राज्य शासन द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु भी लागू किया जायेगा।
- (i) **कर नीति :** राज्य सरकार राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हेतु सतत् प्रयासरत् है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कई वैधानिक तथा प्रशासनिक उपाय किये जा रहे हैं। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जी.एस.टी.) लागू होने के पश्चात कर संग्रहण एवं प्रवर्तन की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था की जा रही है। आगामी वर्षों में कर संग्रहण में वृद्धि की अपेक्षा है।
- (ii) **व्यय नीति :** पिछले कुछ वर्षों में राजस्व व्यय अन्तर्गत तीव्र गति से वृद्धि हुई है। अतः राजस्व व्यय को नियंत्रित रखा जाना आवश्यक होगा। राजस्व व्यय अन्तर्गत सबसे ज्यादा वृद्धि 'सहायक अनुदान' एवं 'राज सहायता' (सब्सिडी) मद के अन्तर्गत हुई है। अतः इन दो मदों को विशेष रूप से नियंत्रित करने का प्रयास किया जायेगा। पूंजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 से अधिक रखने का प्रयास किया जायेगा।

राज्य की बजट प्रस्तुतिकरण व्यवस्था में अपनायी गई कुछ अन्य प्रमुख व्यवस्थायें निम्नानुसार हैं-

- (क) **जेण्डर बजट :** - महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट के अन्तर्गत महिलाओं को लाभान्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है ताकि इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सके। जेण्डर बजट वर्ष 2007-08 से प्रतिवर्ष मुख्य बजट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2018-19 हेतु भी जेण्डर बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।
- (ख) **कृषि बजट :** - वित्तीय वर्ष 2012-13 में कृषि से संबंधित मुख्य मांगों (जो किसान कल्याण एवं कृषि विकास, सिंचाई, नर्मदा घाटी, पशुपालन एवं डेयरी, ऊर्जा, मछली पालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा सहकारिकता विभागों से संबंधित हैं) एवं अन्य विभागों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों हेतु रखे जाने वाले बजट प्रावधानों को संकलित कर एक पृथक खंड के रूप में तैयार कर प्रस्तुत किया गया। इस अनुक्रम में वर्ष 2018-19 के लिये भी कृषि बजट तैयार किया गया है।
- (ग) **एन्यूटी :** प्रदेश के विकास व कल्याण के कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही राशि के अतिरिक्त राज्य की अधोसंरचना विकास में जन-निजी भागीदारी अन्तर्गत एन्यूटी आधारित परियोजनाओं में निवेशित राशि की जानकारी बजट साहित्य के खण्ड-5 में संकलित कर वित्तीय वर्ष 2012-13 से तैयार की जा रही है जिसे वर्ष 2018-19 में भी प्रस्तुत किया गया है।



- (घ) नगरीय एवं पंचायती राज स्थानीय संस्थाओं को राज्य शासन द्वारा अन्तरित की जा रही राशि का विवरण - राज्य की विभिन्न विकासीय एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नगरीय व पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये उपर्युक्त संस्थाओं को राज्य के बजट के माध्यम से आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2009-10 से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली राशि का पृथक विवरण खण्ड-7 में संकलित कर तैयार किया जा रहा है, जिसे वर्ष 2018-19 में भी प्रस्तुत किया गया है।
- (ङ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों को लाभ देने वाली स्कीमों में इन वर्गों हेतु रखे गये बजट अनुमान को दर्शाने वाला विवरण - इसके लिये पृथक विवरण खण्ड-9 वर्ष 2017-18 से संकलित किया जा रहा है जिसे वर्ष 2018-19 में भी प्रस्तुत किया गया है।
- (iii) ऋण एवं आकस्मिक दायित्व तथा पूंजीगत व्यय :- वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है तथा तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है, जिसका उपयोग पूंजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा है।
- (3) आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति प्राथमिकताएं :
- (i) राजकोषीय नीति मुख्यतया राज्य सरकार के आय एवं राजस्व के संग्रहण एवं व्यय से संबंधित होती है। राज्य शासन की प्राथमिकता करों के आधार को बढ़ाना और उनके संग्रहण में और अधिक कसावट लाना है।

- (ii) ऋण प्रक्रिया का मुख्य आधार ऋणों की लागत को कम करना रहा है।
- (iii) व्यय के क्षेत्र में पूंजीगत व्यय एवं कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्राथमिकता के क्षेत्र रहेंगे।
- (iv) राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में ऊर्जा क्षेत्र भी शामिल है। विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय आधार को सुदृढ़ करना तथा उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना लक्षित है।
- (v) इसी प्रकार राज्य सरकार की यह प्राथमिकता भी रहेगी कि राज्य में सड़कों का प्रभावी नेटवर्क स्थापित हो जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले।
- (vi) राज्य शासन का पर्यटन क्षेत्र में विकास एवं इसमें रोजगार को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास रहेगा।
- (vii) दिनांक 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने पर राज्य के कर राजस्व पर प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। GST के लागू होने के बाद राज्य को करों में होने वाली क्षतिपूर्ति का अनुमान राज्य के करों में 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि (आधार वर्ष 2015-16 के अनुसार) लेते हुए किया जा रहा है।

#### (4) नीति परिवर्तन के मूल आधार :

- (i) राज्य की राजकोषीय नीति का मूल उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास तथा राज्य के समस्त नागरिकों को विकास प्रक्रिया से जोड़ने का है।

- (ii) कर की दरों को एक सीमा से अधिक बढ़ाना, राजस्व प्राप्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्षों में करों के आधार को और बढ़ाने का प्रयास रहेगा।
- (iii) कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर उच्च स्तर पर बनी रहे, इस हेतु विशेष ध्यान दिये जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
- (5) **नीति मूल्यांकन :** मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार वांछित सभी राजकोषीय जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण वर्ष 2016-17 के लेखा, वर्ष 2017-18 के बजट/पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक प्राक्कलित ट्रेंड/रूझानों के आधार पर तैयार किया गया है। उल्लेखित वर्षों के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है। इसके अतिरिक्त अनुमानों को समुचित रूप से स्पष्टीकरण के साथ संशोधित किया गया है जिससे वे यथार्थ पर आधारित रहें। राजकोषीय पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा वक्तव्यों से प्रदर्शित है।

**प्ररूप एफ-4**

(नियम 7 देखिये)

**सिलेक्ट राजकोषीय सूचक**

अनु. क्र	मद	पूर्ववर्ती वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	आगामी वर्ष (ब.अ.)
		2016-17	2017-18	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा	4.32	3.49	3.24
2	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	13.63	2.39	0.98
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	0.59	0.08	0.03
4	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा / आधिक्य	3.06	0.43	0.17
5	कुल दायित्व -सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का अनुपात (प्रतिशत)	25.37	27.29	26.34
6	कुल दायित्व -कुल राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	131.79	139.41	139.58
7	कुल दायित्व -राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	367.72	406.36	398.10
8	राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय की तुलना में (प्रतिशत)	36.97	34.45	35.12
9	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार पूंजीगत परिव्यय	116.50	123.73	115.98
10	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	7.36	8.86	8.25
11	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार वेतन व्यय	18.60	21.13	20.48
12	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार पेंशन व्यय	7.13	7.81	8.05

**प्ररूप एफ-5**  
(नियम 7 देखिये)

**क.- राज्य सरकार के दायित्वों के घटक**

(रुपये करोड़ में)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये या उठाये जाने वाले			राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिसंदाव/विमोचन			बकाया राशि (31 मार्च को)		
		पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		2016-17 (लेखा)	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)	2016-17 (लेखा)	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)	2016-17 (लेखा)	2017-18 (पु.अ.)	2018-19 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	बाजार उधार	16100.00	19676.05	23800.00	1549.01	1876.05	4595.04	70691.64	88491.64	107696.60
2	केन्द्र से ऋण	1266.67	2550.00	4000.00	1017.58	1127.10	1239.81	13917.09	15339.99	18100.18
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2518.25	2800.00	2900.00	1252.28	1100.00	1150.00	21447.31	23147.31	24897.31
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	9962.49	3427.24	7140.00	1106.54	1708.03	5512.67	16252.39	17971.60	19598.93
5	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	0.00	500.00	4000.00	0.00	500.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
6	लोक लेखा	33350.64	171061.13	182785.93	29103.40	168153.57	180048.27	35348.01	38255.57	41942.33
7	अन्य जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	योग #	63198.05	200014.42	224625.93	34028.81	174464.75	196545.79	157656.43	183206.10	212235.35

**ख. राज्य सरकार के दायित्वों पर अधिमान औसत ब्याज दरें**  
(प्रतिशत)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये ^		बकाया रकम (31 मार्च को)	
		पूर्व वर्ष (लेखा) 2016-17	चालू वर्ष (पु.अ.) 2017-18	पूर्व वर्ष (लेखा) 2016-17	चालू वर्ष (पु.अ.) 2017-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बाजार से उधार	<b>7.43</b>	<b>7.90</b>	<b>8.22</b>	<b>8.14</b>
2	केन्द्र से ऋण	परिवर्तनीय दर	परिवर्तनीय दर	<b>9.43</b>	<b>9.21</b>
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>	<b>9.68</b>	<b>9.62</b>
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	<b>6.64</b>	<b>5.55</b>	<b>7.66</b>	<b>7.42</b>
5	भा.रि.बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6	लोक लेखा	<b>8.05</b>	<b>7.78</b>	<b>8.05</b>	<b>7.78</b>
7	अन्य जमा	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8	कुल औसत दर *	<b>7.53</b>	<b>7.81</b>	<b>8.48</b>	<b>8.34</b>

# राज्य सरकार के दायित्वों के घटक योग में सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां रिस्क

वेटेज के अनुसार वर्ष 2016-17 में रूपये 4851, वर्ष 2017-18 में रूपये 5093.551 एवं वर्ष 2018-19 में रूपये 5348.23 करोड़ सम्मिलित नहीं है।

^1- अधिमान औसत ब्याज दर जहां संबंधित अधिमान उधार ली गई रकम है। यह संविदात्मक आधार पर प्रकल्पित है और तब वार्षिक की गई है।

2- औसत ब्याज दर की गणना में परिवर्तनीय दर पर प्राप्त ऋण सम्मिलित नहीं है

\* अधिमान औसत ब्याज दर, जहां अधिमान राज्य सरकार के दायित्वों के संबंधित घटकों की रकम है।

**ग. विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अर्थोपाय अग्रिम/राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ओव्हर ड्राफ्ट का ब्यौरा**

अनु.क्र.	अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण	पूर्व वर्ष 2016-17	चालू वर्ष 2017-18
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थोपाय अग्रिम की औसत रकम (रूपये करोड़ में)	0	0
2	अधिविकर्षण की औसत रकम (रूपये करोड़ में)	0	0
3	अर्थोपाय अग्रिम के दिवसों की संख्या	0	0
4	अधिविकर्षण के दिवसों की संख्या	0	0
5	अधिविकर्षण के अवसरों की संख्या	0	0

**प्ररूप एफ-6**

(नियम 7 देखिये)

**संचित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ.)**

(रुपये करोड़ में)

पूर्व वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ.में परादेय बकाया	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	पूर्व वर्ष के अंत में/चालू वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ. में परादेय बकाया	चालू वर्ष के आरंभ में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टॉक (प्रतिशत)	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोत्तरी	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष के अंत में/आगामी वर्ष के आरंभ में परादेय बकाया	चालू वर्ष के अंत में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टॉक (प्रतिशत)
2016-17	2016-17	2016-17	2016-17	2017-18	2017-18	2017-18	2017-18	2017-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-

**प्ररूप - एफ - 7**  
(नियम 7 देखिये)  
**सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां**

प्रवर्ग (कोष्टक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत अधिकतम रकम (रुपये करोड़ में)	वर्ष के आरंभ में बकाया (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान कर्मा (वर्ष के दौरान किये गये अवलंब से भिन्न) (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान किया गया अवलंब (रुपये करोड़ में)		कुल परादेय प्रत्याभूतियां (रुपये करोड़ में) (31.12.2017 की स्थिति में)	प्रत्याभूति कमीशन या फीस (रुपये करोड़ में)		कुल राजस्व प्राप्ति * के प्रतिशत के रूप में कुल परादेय प्रत्याभूतियां
					उन्मोचित	अनुन्मोचित		प्राप्त करने योग्य	प्राप्त की गई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त		अप्राप्त	अप्राप्त	
गृह विभाग	( 3)	8,07.80	..	..	..	..	5,44.23	..	..	
वित्त विभाग	( 19)	13,00.00	..	..	..	..	8,73.23	..	..	
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	( 12)	4,47.21	..	..	..	..	2,75.20	..	..	
ऊर्जा विभाग	( 29)	95,33.24	..	..	..	..	35,81.71	..	..	
सहकारिता विभाग	( 13)	58,51.22	..	..	..	..	9,01.12	..	..	
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	(355)	33,63.32	..	..	..	..	15,05.29	..	..	
लोक निर्माण विभाग	( 2)	40,00.00	..	..	..	..	0.00	..	..	
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	( 4)	63,00.00	..	..	..	..	62,76.35	..	..	
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग	( 1)	39.50	..	..	..	..	34.75	..	..	
<b>वृहद योग</b>	<b>438</b>	<b>3,16,42.30</b>					<b>1,39,91.92</b>			<b>10.35 %</b>

\* पुनरीक्षित अनुमान 2017-18



**प्ररूप एफ-8**

(नियम 7 देखिये)

**प्रत्याभूति विमोचन निधि (जी. आर. एफ.)**

(₹ करोड़ में)

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर परादेय इनवोकड प्रत्याभूतियां 2016-17	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम 2016-17	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूतियों की रकम जिनका अवलंब संभाव्य है 2017-18	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. में बढ़ोतरी 2017-18	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. से प्रत्याहरण 2017-18	चालू वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम 2017-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0.00	408.79	0.00	1.00	0.00	409.79

**प्ररूप एफ-9**  
(नियम 7 देखिये)  
**वित्तीय आस्तियों का विवरण**

अनु.क्र.	मद	पूर्व वर्ष के आरंभ पर आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आस्तियों का संचयी योग बही मूल्य (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
<b>1</b>	<b>ऋण एवं अग्रिम जिसमें</b>	<b>40837.28</b>	<b>4158.22</b>	<b>44995.50</b>
	स्थानीय निकायों को ऋण	1675.18	-49.21	1625.97
	विद्युत कंपनियों को ऋण	34009.75	2954.56	36964.31
	अन्य कंपनियों को ऋण	573.76	325.01	898.77
	अन्य ऋण	4578.59	927.86	5506.45
<b>2</b>	<b>साम्या विनिधान (इक्विटी इन्वेस्टमेंट)</b>	<b>16599.57</b>	<b>6095.42</b>	<b>22694.99</b>
	अंशपूंजी (शेयर)			
	बोनस शेयर			
<b>3</b>	<b>भारत सरकार प्रत्याभूतियों / कोषालयीन बिलों में विनिधान</b>	<b>0.21</b>	<b>0</b>	<b>0.21</b>
<b>4</b>	<b>14 दिन के इन्टरमीडिएट कोषालयीन बिलों में विनिधान</b>	<b>9485.25</b>	<b>1142.97</b>	<b>10628.22</b>
<b>5</b>	<b>अन्य वित्तीय विनिधान</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>
<b>6</b>	<b>योग</b>	<b>66922.30</b>	<b>11396.62</b>	<b>78318.92</b>

टिप्पणी : - केवल रुपये दो लाख के ऊपर के मूल्य की आस्तियां दर्ज की जाना हैं।

**प्ररूप एफ-10**

(नियम 7 देखिये)

**राजस्व जो अधिरोपित किया गया किन्तु वसूल नहीं किया गया**

**(मुख्य कर और करेतर राजस्व)**

**(जैसा कि पूर्व वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर है)**

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादित राशि (₹करोड़ में)	अविवादित राशि (₹करोड़ में)	कुल योग (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>आय तथा व्यय पर कर</b>			
0023	होटल की प्राप्तियों पर कर	1.21	0.72	1.93
0028	आय तथा व्यय पर कर	0.20	0.83	1.03
	<b>संपत्ति तथा पूंजीगत सेवाओं पर कर</b>			
0029	भू-राजस्व	2.63	47.96	50.59
0030	स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क	35.83	235.98	271.81
	<b>वस्तुओं तथा सेवा पर कर</b>			
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	19.06	163.05	182.11
0040	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2433.64	357.01	2790.65
0041	वाहनो पर कर	0.00	716.77	716.77
0042	माल तथा यात्री कर (प्रवेश कर)	1506.82	88.12	1594.94
0043	विद्युत कर तथा शुल्क	205.14	12.34	217.48
0045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	252.64	7.49	260.13
0406	वन तथा वन्य जीव	4.31	20.65	24.96
0700-	मुख्य सिंचाई	0.00	245.14	245.14
0701-	मध्यम सिंचाई	0.00	141.76	141.76
0702	लघु सिंचाई	0.00	925.66	925.66
0853	अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	21.21	46.44	67.65
	<b>योग</b>	<b>4482.69</b>	<b>3009.92</b>	<b>7492.61</b>

टीप - इस विवरण के अन्तर्गत राजस्व बकाया का विवरण दिया गया है।

**प्ररूप एफ-11**  
(नियम 7 देखिये)  
(प्रावधिक आंकड़े)

क राज्य सरकार में नियोजन

(31 मार्च 2017 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	5209	1.165
2	5001 से 21000	334778	74.851
3	21001 से 37000	88478	19.782
4	37001 से 53000	12570	2.810
5	53001 से 65000	3938	0.880
6	65001 से 80000	1942	0.434
7	80001 से अधिक	347	0.078
	योग	<b>447262</b>	<b>100.000</b>

ख राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजन

चतुर्थ वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2017 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	800 तक	0	0.000
2	801 से 1000	0	0.000
3	1001 से 1400	288	95.364
4	1401 से 2000	4	1.325
5	2001 से 3500	2	0.662
6	3501 से 5000	8	2.649
7	5001 से अधिक	0	0.000
	योग	<b>302</b>	<b>100.000</b>

पाँचवें वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2017 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	2500 तक	4	3.810
2	2501 से 4300	14	13.333
3	4301 से 6100	18	17.143
4	6101 से 9700	11	10.476
5	9701 से 13300	48	45.714
6	13301 से 19300	10	9.524
7	19301 से अधिक	0	0.000
	योग	<b>105</b>	<b>100.000</b>

छठवें वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2017 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	324	0.622
2	5001 से 21000	29400	56.446
3	21001 से 37000	19333	37.118
4	37001 से 53000	1916	3.679
5	53001 से 65000	490	0.941
6	65001 से 80000	592	1.137
7	80001 से अधिक	30	0.058
	योग	52085	100.000

ग अर्द्ध शासकीय निकायों में नियोजन

(र) पाँचवें वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2017 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	2500 तक	0	0.000
2	2501 से 4300	37	12.333
3	4301 से 6100	71	23.667
4	6101 से 9700	128	42.667
5	9701 से 13300	50	16.667
6	13301 से 19300	14	4.667
7	19301 से अधिक	0	0.000
	योग	300	100.000

(ल) छठवें वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2017 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	379	5.540
2	5001 से 21000	5003	73.133
3	21001 से 37000	1223	17.878
4	37001 से 53000	194	2.836
5	53001 से 65000	17	0.249
6	65001 से 80000	20	0.292
7	80001 से अधिक	5	0.073
	योग	6841	100.000

घ. विश्वविद्यालयों में नियोजन

(31 मार्च 2017 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	852	13.371
2	5001 से 21000	4330	67.954
3	21001 से 37000	601	9.432
4	37001 से 53000	271	4.253
5	53001 से 65000	140	2.197
6	65001 से 80000	159	2.495
7	80001 से अधिक	19	0.298
	योग	6372	100.000

ड- नगरीय स्थानीय निकायों में नियोजन

(31 मार्च 2017 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	19741	22.965
2	5001 से 21000	61344	71.363
3	21001 से 37000	4373	5.087
4	37001 से 53000	486	0.565
5	53001 से 65000	12	0.014
6	65001 से 80000	5	0.006
7	80001 से अधिक	0	0.000
	योग	85961	100.000

च विकास प्राधिकरणों में नियोजन

(31 मार्च 2017 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	127	7.528
2	5001 से 21000	1154	68.405
3	21001 से 37000	330	19.561
4	37001 से 53000	75	4.446
5	53001 से 65000	1	0.059
6	65001 से 80000	0	0.000
7	80001 से अधिक	0	0.000
	योग	1687	100.000

छ- ग्रामीण स्थानीय निकायों में नियोजन

(31 मार्च 2017 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	27523	19.821
2	5001 से 21000	95019	68.430
3	21001 से 37000	10384	7.478
4	37001 से 53000	5866	4.225
5	53001 से 65000	30	0.022
6	65001 से 80000	30	0.022
7	80001 से अधिक	3	0.002
	योग	138855	100.000